राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र.सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग
1.	1584 / 2024	कैलाश दान चारण	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तेलीवाड़ा, पीसांगन, अजमेर। 6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक अजमेर, जिला अजमेर।
2.	1585 / 2024	अभीजित पारीक	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। 5. प्रधानाचार्य, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पुलिस लाईन के पीछे, खांडू कॉलोनी, बांसवाड़ा। 6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक चूरू, जिला चूरू।
3.	1586 / 2024	विनोद कुमार	1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2. संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 4. अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। 5. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, छपरेल, कोटड़ी, भीलवाड़ा। 6. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक फागी, जिला जयपुर।
4.	1587 / 2024	सुशील कुमार	1 राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 2 संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर। 3 निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर। 4 अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक, स्कूल शिक्षा, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्, जयपुर। 5 प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, डाबली खुर्द, हनुमानगढ़। 6 मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक अलसीसर, जिला झुन्झुनूं।

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 03.04.2024
आदेश की दिनांक : 09.04.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री सुरेश खिलेरी, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

उपरोक्त अपीलों में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत समस्त अपीलों में चुनौती का आधार एवं तथ्यात्मक स्थिति समान होने से, न्यायहित में अपील संख्या 1584/2024 कैलाश दान चारण की अपील को अग्रग अपील मानकर उसके तथ्य लेते हुए, उक्त टेबिल में अंकित अपीलों को एक ही आदेश से निस्तारित किया जा रहा है।

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी वर्तमान में व्याख्याता (इतिहास) के पद पर राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, तेलीवाड़ा, पीसांगन, जिला अजमेर में कार्यरत है। प्रस्तुत अपील प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–1) की अनुपालना कराये जाने हेतु प्रस्तुत की है। अपील के अनुसार प्रत्यर्थी विभाग अपने पारित आदेश दिनांक 09.10.2023 (अनुलग्नक–1) की अनुपालना नहीं कर रहा है, जिसके द्वारा अपीलार्थी को मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संदर्भ व्यक्ति (व्याख्याता समकक्ष) पद पर एक वर्ष के लिए अजमेर प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया था। अपीलार्थी को साक्षात्कार प्रक्रिया के बाद प्रतिनियुक्ति पर चयनित किया गया था। अपीलार्थी का नाम क्रम संख्या 03 पर अंकित है। अपीलार्थी ने आदेश दिनांक 09.10.2023 को क्रियान्वित कर प्रतिनियुक्ति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु दिनांक 26.12.2023 (अनुलग्नक–2) द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। आदेश दिनांक 09.10.2023 के अनुपालन में अपीलार्थी को ज्वाइनिंग नहीं देने से बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। प्रत्यर्थी विभाग ने समग्र शिक्षा के तहत विभिन्न पदों की नियुक्ति के लिए दिनांक 13.07.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा एक विज्ञापन जारी किया था, जिसके द्वारा उन्होंने चयन के लिए साक्षात्कार निर्धारित किया था और साक्षात्कार की तिथि 01.08.2023 से 07.08.2023 तय की गई थी। उपर्युक्त विज्ञापन के अनुपालन में अपीलार्थी पात्र होने के आधार पर प्रथम वरीयता में अजमेर के रूप में अपनी प्राथमिकता ब्लॉक भरकर संदर्भ व्यक्ति (व्याख्याता समकक्ष) के पद के लिए आवेदन किया (अनुलग्नक–4)। अपीलार्थी संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए साक्षात्कार प्रक्रिया में उपस्थित हुआ और साक्षात्कार में अच्छे अंक हासिल करने के बाद अपीलार्थी का चयन किया गया और आदेश दिनांक 09.10.2023 द्वारा प्रतिनियुक्ति पर पोस्टिंग के स्थान पर सीबीईओ कार्यालय अजमेर, जिला अजमेर आवंटित किया गया। परन्तु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा इसके क्रम में कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 09.10.2023 की अनुपालन में सीबीईओ समग्र शिक्षा, अजमेर के कार्यालय में अपीलार्थी को ज्वाइनिंग देने के लिए प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जावे।

हमने विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थीगण की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष प्रस्तुत अभ्यावेदन लम्बित है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को प्रस्तुत किए गये अभ्यावेदन को राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी छः सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

आदेश की मूल प्रति अपील संख्या 1584/2024 में एवं आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि उपर्युक्त टेबिल में अंकित अन्य समस्त अपीलों की पत्रावलियों में संलग्न की जावें।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य